न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

मुन्तकिली प्रार्थना पत्र संख्या 384 / 2025(GCMS : 2025/515)

नवीन चौहान पुत्र श्री रामस्वरूप जाति मेघवाल निवासी वार्ड नम्बर 3, 2 एनजैडपी बाजूवाला तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर

बनाम

1. पीठासीन अधिकारी **श्रीमती शकुन्तला** चौधरी, उपखण्ड अधिकारी, **श्रीविजयनगर, जिला श्रीगांगनगर**
2. **बालूराम** पुत्र श्री मामराज जाति नायक निवासी 1 एनजैडएम (ए), तहसील श्रीविजयनगर, जिला श्रीगंगानगर
3. **कुशाला राम** पुत्र श्री मामराज जाति नायक निवासी 1 एनजैडएम (ए), तहसील श्रीविजयनगर, जिला श्रीगंगानगर
4. **सादुल सिंह** पुत्र श्री जोधा सिंह जाति राजपूत निवासी 1 एनजैडएम (ए), तहसील श्रीविजयनगर, जिला श्रीगंगानगर
5. **मांगीलाल** पुत्र श्री सोहन लाल जाति बिश्नोई निवासी 1 एनजैडएम (ए), तहसील श्रीविजयनगर, जिला श्रीगंगानगर
6. **पृथ्वीराज** पुत्र श्री सोहन लाल जाति बिश्नोई निवासी 1 एनजैडएम (ए), तहसील श्रीविजयनगर, जिला श्रीगंगानगर
7. **बलवीर सिंह** पुत्र श्री चरण सिह जाति कम्बोज सिख निवासी 1 एनजैडएम (ए), तहसील श्रीविजयनगर, जिला श्रीगंगानगर
8. **हरबंस सिंह** पुत्र चानन सिंह जाति नाई सिख निवासी चक 6 एसटीबी(ए) तहसील श्रीविजयनगर, जिला श्रीगंगानगर
9. **जसवीर कौर** पत्नी हरबंस सिह जाति नाई निवासी चक 6 एसटीबी(ए) तहसील श्रीविजयनगर, जिला श्रीगंगानगर
10. **भजन सिंह** पुत्र श्री चनन सिंह जाति नाईसिख निवासी चक 6 एसटीबी(ए) तहसील श्रीविजयानगर जिला श्रीगंगानगर
11. राजस्थान सरकार जरिये **तहसीलदार (राजस्व) श्रीविजयनगर,** जिला श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

20.05.2026

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी के अधिवक्ता श्री बलकरन सिंह बराड एवं अप्रार्थी के अधिवक्ता श्री विनोद भाटी उपस्थित हुए। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी के अधिवक्ता ने कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी, श्रीविजयनगर के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश कर, रास्ते का अमल दरामद राजस्व रिकॉर्ड में करने के बाबत पेश किया हुआ है।

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी अप्रार्थी संख्या 2 ता 10 के राजनैतिक दबाव में है तथा रायसिंहनगर विधानसभा के पूर्व विधायक द्वारा खुलम खुला पीठासीन अधिकारी के साथ वार्तालाप कर प्रार्थीगण के विरूद्ध निर्णय करने का दबाव बनाया जा रहा है, जिससे प्रार्थी को पीठासीन अधिकारी से न्याय प्राप्त होने की कोई उम्मीद नहीं है। इसलिए न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीविजयनगर के समक्ष विचाराधीन वाद पत्र को अन्य किसी समकक्ष सक्षम उपखण्ड अधिकारी को अन्तरित किये जाने की प्रार्थना की है।

इसके विपरीत अप्रार्थी के अधिवक्ता ने कथन किया कि प्राथीगण द्वारा लगाये गये आरोप सामान्य प्रकृति के है, फिर भी उनके प्रकरण को किसी अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित किया जाता है उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया और प्रार्थी एवं अप्रार्थी के अधिवक्ता की बहस पर मनन किया तो पाया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीविजयनगर के न्यायालय में विचाराधीन वाद पत्र संख्या 20 / 2025 अनवान् बालूराम आदि बनाम अशोक कुमार आदि अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विचाराधीन है, जिसमें प्रार्थी ने निष्पक्ष न मिलने की सम्भावना व्यक्त कर अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने की प्रार्थना की है। उपखण्ड अधिकारी, विजयनगर ने अपनी टिप्पणी में प्रार्थी द्वारा लगाये गये आरोपों का खण्डन करते हुए, उनके न्यायालय में लम्बित उक्त प्रकरण को किसी अन्य न्यायालय में मुंतकिल करने हेतु कोई आपत्ति जाहिर नहीं की है। **इस न्यायलाय को राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के गुण दोष पर विचार नही करना है अपितु इस न्यायालय को यह देखना है कि अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण में प्रार्थी को निष्पक्ष न्याय मिलने की संभावना है अथवा नहीं?**

हमारा यह मत है कि न्यायालय में बैठने वाले पीठासीन अधिकारियों के लिए न केवल निष्पक्ष होना आवश्यक है अपितु अपने व्यवहार से भी निष्पक्ष नजर आना आवश्यक होता है ताकि न्याय के इच्छुक पक्षकारान एवं जन साधारण का न्याय व्यवस्था में विश्वास बना रहे। पीठासीन अधिकारी तब तक ही "न्यायालय" है जब तक कि वादकरण के दोनों पक्षकारान का

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

उसमें विश्वास है। अगर एक भी पक्ष द्वारा पीठासीन अधिकारी में अविश्वास व्यक्त कर दिया गया है तो फिर उस प्रकरण विशेष के लिए पीठासीन अधिकारी "न्यायालय" के स्तर को खो चुका होता है। वर्तमान प्रकरण में प्रार्थी वर्तमान पीठासीन अधिकारी से निर्णय नहीं करवाना चाहता है एवं अप्रार्थी के अधिवक्ता को भी अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण को अन्यत्र स्थानान्तरित करने में कोई आपत्ति नहीं है। इसलिए उपखण्ड अधिकारी, श्रीविजयनगर के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण को अन्य न्यायालय में मुंतकिल किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उक्त विवेचन के आधार पर उपखण्ड अधिकारी, श्रीविजयनगर के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण को उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर के न्यायालय में स्थानान्तरित किया जाता है और उन्हें आदेशित किया जाता है कि उभयपक्ष को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देते हुए, नियमानुसार एवं विधिसम्मत् शीघ्र निर्णय पारित करें। उक्त प्रकरण का शीघ्र निस्तारण करने की कार्यवाही करें। उपखण्ड अधिकारी, श्रीविजयनगर को भी निर्देशित किया जाता है कि उक्त प्रकरण की मूल पत्रावली तुरन्त प्रभाव से उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर के न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करें। उभयपक्षकारों को निर्देशित किया जाता है कि वे दिनांक 12.06.2026 को अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर के न्यायालय में उपस्थित हो। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 20.05.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. अमित यादव)
जिला कलक्टर
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर